पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट

पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा थाना- गौतमपल्ली क्षेत्र के मनबढ़ एवं दबंग 01 अभियुक्त को पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की सीमा से 06 माह के लिये किया गया निष्कासित (जिला बदर)।

दिनांक 21.12.2020

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के अन्तर्गत थाना- गौतमपल्ली क्षेत्र के मनबढ़ एवं दबंग व्यक्ति को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित (जिला बदर) किया गया।

न्यायालय पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ में संस्थित वाद संख्याः- 244/2020 से अभियुक्त को लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु खुले न्यायालय में उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा-3 (3) के अन्तर्गत मिशन शक्ति के तहत सुनवाई के दौरान प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सुनने के बाद सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी लखनऊ श्री अवधेश सिंह द्वारा अपने तर्कों के माध्यम से प्रतिपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के सम्बन्ध में पुरजोर विरोध करते हुये प्रतिवादी को पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की सीमाओं से 06 माह के लिये निष्कासित (जिला बदर) किये जाने को उचित बताया गया।

फलतः आज दिनांक-21.12.2020 को प्रतिवादी को पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित (जिला बदर) किये जाने का आदेश पारित किया गया।

दिनाँकः 21.12.2020 को थाना कृष्णानगर पुलिस टीम द्वारा एक शातिर अभियुक्त कृष्णराय उर्फ नैन्चू पुत्र साहवदीन गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 50 ग्राम अवैध गाँजा बरामद किया गया।

दिनाँकः 21.12.2020 को अवैध रूप से मादक पदार्थों के तस्करी करने वाले अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त मध्य, अपर पुलिस उपायुक्त मध्य के कुशल निर्देशन एवं सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर लखनऊ के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कृष्णानगर महेश कुमार दुबे के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा तुलसी पार्क के शनि मंदिर के गेट के पास से एक अभियुक्त कृष्णराय उर्फ नैन्चू पिता साहवदीन को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 50 ग्राम अवैध गाँजा बरामद होने के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 576/2020 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजकर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 20/12/2020 को थाना अमीनाबाद पुलिस टीम द्वारा चोरी के सामान के साथ 02 अभियुक्त 1- प्रदीप विश्वकर्मा पुत्र अयोध्या प्रसाद विश्वकर्मा 2- रवि वर्मा पुत्र राम पाल वर्मा को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 20/12/2020 को प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह यादव थाना अमीनाबाद लखनऊ के नेतृत्व में उ0नि0 भृगुनाथ ओझा मय हमराही व पालीगान 34 के पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 213/2020 धारा 381/411 भादवि0 थाना अमीनाबाद से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1- प्रदीप विश्वकर्मा पुत्र अयोध्या प्रसाद विश्वकर्मा 2- रवि वर्मा पुत्र राम पाल वर्मा को कसाईबाड़ा मोड़ थाना अमीनाबाद से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तो द्वारा जिस कपड़े की दुकान जिस पर काम करते थे उस दुकान से कपड़े चोरी करके किसी अन्य दुकानों पर कपडे बेच दिया करते थे। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 213/2020 धारा 381/411 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तो को नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तगण प्रदीप विश्वकर्मा, रवि वर्मा कर 1250/- रूपये व एक अदद सफेद प्लास्टिक बोरी में 07 अदद लैगी , 34 अदद लेडिज स्वेटर ,02 अदद मफलर , 02 अदद बच्चों का सूट व 03 अदद जेण्ट्स जैकेट बरामद किया गया।

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ, महोदय द्वारा अपराध एंव अपराधियो के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उप आयुक्त श्री संजीव सुमन के निर्देशन में एंव अपर पुलिस उप आयुक्त श्री एस0एम0 कासिम आब्दी के कुशल पर्यवेक्षण एवं सहायक पुलिस आयुक्त श्री स्वतन्त्र सिंह के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रशेखर सिंह थाना विभूतिखण्ड पुलिस टीम द्वारा घटना मे संलिप्त अभियुक्त विवेक पाण्डेय को हिरासत में लिया गया।

दिनांक 20.12.2020 को सहायक पुलिस आयुक्त विभूतिखण्ड श्री स्वतन्त्र सिंह को जरिये मुखविर खास सूचना मिली कि होटल रूद्राइन में कुछ लड़कियों को रोक कर अनैतिक देह व्यापार कराया जा रहा है। इस सूचना पर विश्वास करके सहायक पुलिस आयुक्त विभूतिखण्ड द्वारा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रशेखर सिंह को मय हमराही व म0का0 को साथ लेकर होटल रूद्राइन में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया तो होटल में चार लडकियां मिली जिन्होने पूँछताछ पर बताया कि हम लोगों को होटल मैनेजर विवेक पाण्डेय पुत्र वीरेन्द्र पाण्डेय निवासी वासूपुरा बाजार थाना कोतवाली जनपद फैजाबाद हाल पता 17186 विनम्रखण्ड रूद्राइन होटल का मैनेजर है वह हम लोगों को अनैतिक देह व्यापार हेतु ले आया है हम लोगों से होटल में रखकर अनैतिक देह व्यापार कराता है इसका सरगना राजेश व अरविन्द है इस गैंग के सदस्य दीवान (पुराना लखनऊ) महिला (दीदी) और दीपक करते हैं। इस कार्य से विवेक पाण्डेय व उसके गैंग को सदस्य ग्राहकों से मोटा पैसा कमाते हैं। होटल पर मौजूद विवेक पाण्डेय को जुर्म धारा 370/372 भादवि व 4/5/6/7 अनैति देह व्यापार अधि0 1956 में हिरासत में लिया गया जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 573/20 धारा370/372 भादवि व 4/5/6/7 अनैति देह व्यापार अधि0 1956 थाना विभूतिखण्ड पर पंजीकृत किया गया। रेस्क्यू से कुछ समय पूर्व दीवान, पूनम दीदी,राजेश,अरविन्द, दीपक होटल से निकल कर भाग गये। जिनके विरूद्व विधिक कार्यवाही की जा रही है।

आज दिनांक 21.12.2020 को श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान में पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) श्री रईस अख्तर के निर्देशन में तथा श्री राजेश श्रीवास्तव अपर पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) व सुश्री प्राची सिंह सहायक पुलिस आयुक्त महानगर लखनऊ के निकट पर्यवेक्षण में श्री मनोज कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक विकासनगर लखनऊ के नेतृत्व में थाना विकासनगर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त मो0 इकलाक उर्फ अन्ना पुत्र अफजाल को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से स्नेचिंग का 01 अदद मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई है।

दिनांक 20.12.2020 को वादिनी निवासी सेक्टर 1 म0नं0 1/684 विकासनगर लखनऊ ने थाना स्थानीय पर आकर एक तहरीर बावत स्वयं का मोबाइल सैमसंग ए 30एस (ग्रे ब्लू) रंग का IMEI 358577/10/090727/3,IMEI 358578/10/090727/1 को छीन कर एक अज्ञात मोटर साइकिल सवार व्यक्ति द्वारा लूट ले जाने के सम्बन्ध मे दिया। जिस पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 332/2020 धारा 392 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। थाना स्थानीय की पुलिस टीम द्वारा उक्त लूटेरे की तलाश पतारसी सुरागरसी में क्षेत्र में मामूर थी कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक शातिर मोबाइल लुटेरा व्यक्ति क्षेत्र में घूम रहा है जिसे पुलिस टीम द्वारा घेरकर रोका गया और नाम पता पूछने पर अपना नाम मो0 इकलाक उर्फ अन्ना पुत्र अफजाल उम्र 22 वर्ष निवासी गंगोली थाना कुर्सी जिला बाराबंकी बताया। जिसके कब्जे से 01 अदद लूटा गया मोबाइल फोन सैम्संग सम्बन्धित मुकदमा उपरोक्त व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बजाज बाक्सर नं UP32 BL3801 बरामद हुयी अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

MEDIA